

न्यायालय : राजस्थान रेसर्वड म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/2017 पुनरीक्षणकर्ता

नकीन ५८२०।

२२५६/२०१८

II/निगरानी/अप्र० २०१८/२२५६

मुकेश भटेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भटेले
उम्र-46 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर,
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

(1)

बृजकिशोर भटेले पुत्र श्री ग्यादीन भटेले
आयु 70 साल, जाति ब्राह्मण निवासी कोट
का कुंआ, वार्ड नं. 06, गोहद जिला
भिण्ड (म.प्र.)

- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

(2)

मनोज भटेले पुत्र स्व. श्री आर.सी. भटेले
उम्र-37 वर्ष, निवासी-4, सत्यदेव नगर,
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

(3)

श्रीमती शकुन्तला भटेले पत्नी स्व.
श्री आर.सी. भटेले उम्र-37 वर्ष,
निवासी-4, सत्यदेव नगर, गांधी रोड,
ग्वालियर (म.प्र.)

- तरतीवी प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् तहसीलदार वृत गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक
02, 16-2017/अ-70 व उनमान बृजकिशोर भटेले विरुद्ध मुकेश आदि में
ग्वालियर पारत आदेश दिनांक 13.12.2017 से दुखित होकर वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत
की जा रही है।

श्रीमान् जी,

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से वर्तमान पुनरीक्षण निम्नानुसार

प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

(1) यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1/आवेदक बृजकिशोर भटेले द्वारा

एक आवेदन पत्र वास्ते धारा 250 मप भ-राजस्व संहिता 1959 न्मे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/2256

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भटेले उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p> </p>	